प्रेसनोट थाना बासौनी जनपद आगरा।

थाना बासौनी पुलिस टीम द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना में फरार/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.......

दिनांक 12.07.2021 को वादिया/पीडिता निवासी मौहल्ला पूरनपुरा थाना पिनाहट जनपद आगरा द्वारा थाना बासौनी पर तहरीर दी गयी कि मनीष पुत्र लटूरी ने दिनांक 08.07.2021 को मुझे फोन करके खेत पर मक्का तुड़वाने के लिये बुलाया था। मैं अपने पडोसी पत्नी अरविन्द को लेकर मजदूरी करने मनीष के मक्का के खेत पर गयी थी। वहाँ खेत पर पहले से ही मौजूद 1. बृजमोहन उर्फ करूआ 2. सतीश 3. पंकज 4. जीतेन्द्र व 5. मनीष, मुझे जबरजस्ती मनीष के साथ खेत में अन्दर खीच ले गये और बृजमोहन व पंकज द्वारा मेरे के साथ बारी-बारी से गलत काम किया गया। गाली गलौच व जातिसूचक शब्द बोलते हुये जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना बासौनी पर मु0अ0सं0 47/21 धारा 374डी/504/506/120बी व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में सलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बासौनी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➢ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही:-

घटना में नामजद अभियुक्तगण लगातार फरार/वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में लगातार सूचना, मुखबिर, सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। इसी दौरान गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध/व्यक्ति वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी कि चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में वांछित अभियुक्त सतीश कही जाने की फिराक में बड़ौस तिराहे पर खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यावाही करते हुये गठित पुलिस टीम बताये गये स्थान पर पहुँचकर एक बारगी की दबिश देकर घेर घोट कर अभियुक्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सतीश पुत्र अमीरी सिंह निवासी उदयपुर खालसा थाना बासौनी जनपद आगरा।

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0/IC श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बासौनी जनपद आगरा।

02. कां0 रंजीत सिंह थाना बासौनी जनपद आगरा।

03. रि0कां0 सनी कुमार थाना बासौनी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।